न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय व डिक्री/55/2016

1. भेराराम पुत्र फताजी (फौत होने से नाम डिलीट किया गया)
2. लक्ष्मण पुत्र भेराजी
3. भगाराम पुत्र भेराजी
4. दिनेश पुत्र भेराजी

जातिगण राईका निवासीगण टिपरी तहसील बाली जिला पाली (राज.)

..... अपीलार्थीगण

ब ना म

राज. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बाली

..... रेस्पोडेण्ट

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 05/03/2020

1. उपरोक्त अपील धारा 223 राज. टीनेंसी एक्ट के तहत् अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स द्वारा एक वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया था कि गांव टिपरी के गत खसरा नम्बर 42, 43, 44 की भूमि अपीलाण्ट भेराजी के पिता फताजी के खातेदारी की काश्त व कब्जाशुद स्थित थी, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, लेकिन भू–प्रबंध के दौरान उपरोक्त खसरान के बनाये गये नये खसरा नम्बर 372 व 375 की भूमि में से फता पुत्र सुरतींगजी का नाम हटा दिया और गलत रूप से सरकारी दर्ज कर दी।

2. अपील दर्ज कर रेस्पोडेण्ट को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

3. अपीलार्थी अधिवक्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि भू–प्रबंध विभाग को गत प्रविष्टि व राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी अवैध रूप से इन्द्राज करते हुए अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये। उपरोक्त वाद का रेस्पोडेण्ट की ओर से जवाबदावा पेश किया गया एवं जमाबंदी सम्वत् 2021 से 2024 में उपरोक्त भूमि फता पुत्र सुरतींग रबारी के नाम होना स्वीकार किया, साथ ही उपरोक्त दर्ज खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बर भी वाद अनुसार बनना स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम किये जाने के पश्चात् अपीलाण्ट की ओर से पी.डब्ल्यू.–1 भेराराम के बयान करवाये गये। रेस्पोडेण्ट की ओर से मांगीलाल और अल्ताफ खां के बयान कराये गये। उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर तनकी संख्या 1 को आंशिक तौर से अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित किया गया, लेकिन आंशिक तौर से क्या वादीगण के पक्ष में तय किया गया?, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। मौके पर कब्जा ग्राम पंचायत का होना रेस्पोडेण्ट के जवाबदावा में न तो वर्णित है, न ही इस बाबत कोई तनकी बनी है। मौके पर कब्जे बाबत रेस्पोडेण्ट के जवाबदावा में स्पष्ट किया है कि मौके पर कब्जा किसका है, रेस्पोडेण्ट को जानकारी नहीं होना बताया ऐसी स्थिति में आंशिक रूप से तय की गई तनकी विधिनुसार सही नहीं है। तनकी संख्या 2 को वादी के हक में निर्णित किया है या वादी के विरुद्ध निर्णित किया है, विवेचन से कत्तई स्पष्ट नहीं है। विवेचन में यह अंकित किया है कि प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार सम्वत् 2025 से 2028 व 2029 से 2032 की जमाबंदी में फता पुत्र सुरतींग का नाम वादग्रस्त भूमि में खातेदारी बाबत दर्ज है। सम्वत् 2029 से 2032 में फता की मृत्यु होने पर अपीलाण्ट भेरा का नाम दर्ज होना भी विवेचित किया गया है ऐसी स्थिति में उपरोक्त तनकी स्वतः ही अपीलाण्ट्स के पक्ष में निर्णित होना तय किया जाना था, लेकिन तय नहीं किया गया है इस कारण से भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। तनकी संख्या 3 को अपीलाण्ट्स के विरुद्ध निर्णित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से भारी भूल की है, क्योंकि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

भू–प्रबंध अर्थात् सेटलमेन्ट विभाग को किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों को घटाने–बढ़ाने और समाप्त करने का अधिकार नहीं है। स्वीकृत रूप से सेटलमेन्ट पूर्व उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट के खातेदारी की रही है और सेटलमेन्ट में गलत रूप से अपीलाण्ट्स के खातेदारी अधिकार समाप्त किये है इस कारण से उपरोक्त तनकी स्वतः ही वादीगण के पक्ष में निर्णित की जानी थी, जो नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी भूल की है। तनकी संख्या 4 गलत रूप से बनाई गई है, क्योंकि तनकियात वाद एवं जवाबदावा में वर्णित अभिवचनों के आधार पर बनाई जाती है। वाद–पत्र व जवाबदावा में उपरोक्त तनकी में वर्णित तथ्यों बाबत कोई अभिवचन नहीं है इसलिए ऐसी तनकी बनाये जाने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है इसलिए भी इस सन्दर्भ में बनाई गई तनकी और तनकी बाबत किया गया विवेचन पूर्णरूपेण अवैध और अनुचित होने से अपास्त योग्य है, साथ ही अपील को अंदर मयाद शुमार कर मैरिट पर अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2020(1) आर.आर.टी. 24, 37, 2018(2) आर.आर.टी. 1030, 2003 आर.आर.डी. 175, 2015(1) आर. आर.टी. 451 पेश किए।

4. रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार ने बताया कि भूमि वर्तमान में सरकारी है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने विधिनुसार निर्णित पारित किया है। उपरोक्त भूमि की कूंए से ग्रामवासी पीने का पानी ले जाते हैं। यह गांवाई पिचका कुंआ व कृषि भूमि है इस प्रकार अपील को मय खर्चा खारिज करने का निवेदन है।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम मयाद अधिनियम के आवेदन के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के आवेदन व शपथ–पत्र का खण्डन रेस्पोडेण्ट की ओर से नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में आवेदन में वर्णित तथ्यों को नहीं मानने का कोई कारण नहीं होने से आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मयाद शुमार की जाती है। दौराने बहस अपीलार्थी की ओर से फैहरिस्त मय राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रतियां पेश की है, जिसे रेकर्ड पर लिए जाने में सरकारी पैरोकार को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि समस्त दस्तावेज जमाबंदी, म्यूटेशन, मिलान क्षेत्रफल आदि की प्रमाणित प्रतियां है, जो रेस्पोडेण्ट द्वारा ही जारी की गई है, जिसे रेकर्ड पर लिया जाना न्यायोचित्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 5 तनकियात कायम की गई थी।

6. तनकी संख्या एक "आया वादग्रस्त भूमि मौजूदा खसरा नंबर 374, 375 पूराने खसरा नंबर 42, 43, 44 वादीगणों की पुश्तैनी, कब्जा–काश्त खातेदारी की है?" उपरोक्त तनकी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आंशिक तौर से वादीगण के पक्ष में निर्णित किया है। तनकी के विवेचन में यह स्वीकार किया है कि सेटलमेन्ट पूर्व के अधिकार अभिलेखों में वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज की खातेदारी दर्ज थी, तत्पश्चात् अर्थात् सेटलमेन्ट बाद में वादीगण का नाम दर्ज नहीं है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2021 से 24 में फता वल्द सुरतींग का नाम बतौर खातेदार के खसरा नंबर 42 से 44 में दर्ज है, जिसका मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 है। उपरोक्त खसरा नंबरान के नए खसरा नंबर 374, 375 होना प्रमाणित है। प्रदर्श–3 जमाबंदी में वर्तमान खसरा नंबर की भूमि सरकारी गांवाई पिच मुख्यान दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात् में खतौनी बंदोबस्त संवत् 2009 से 28 में उपरोक्त भूमि फता वल्द सुरतींग के नाम खातेदारी की दर्ज है, जो जमाबंदी संवत् 2021 से 24 में इसी अनुरूप दर्ज है। तत्पश्चात् म्यूटेशन संख्या 39 द्वारा उपरोक्त भूमि फत की मृत्यु होने पर फता के पुत्र अपीलार्थी भेरा के नाम दर्ज होना दर्ज की गई है, जिसका इंद्राज जमाबंदी संवत् 2025 से 28 में किया गया है। इस प्रकार से सेटलमेन्ट पूर्व संवत् 2009 से लगातार भूमि पूर्व में अपीलार्थी भेराराम के पिता के नाम व उनकी मृत्यु के बाद भेराराम के नाम खातेदारी की दर्ज रही है, साथ ही मौखिक साक्ष्य से भी अपीलार्थी का कब्जा–काश्त होना साबित किया है ऐसी स्थिति में तनकी संख्या एक आंशिक नहीं, बल्कि पूर्णरूपेण अपीलार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाना उचित था, जिसे निर्णित नहीं कर अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय ने विधिक भूल की है ऐसी स्थिति में तनकी संख्या एक अपीलार्थी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

7. तनकी संख्या दो "आया उक्त वादग्रस्त भूमि की खतौनी वादी के पिता फता पुत्र सुरतींग की मृत्यु के बाद वादी के नाम भरा गया?" उपरोक्त तनकी को विधिनुसार अपीलार्थी के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय ने साबित होना स्वीकार किया है, लेकिन अपीलार्थी के पक्ष में तनकी को निर्णित नहीं किया है। विधिक रूप से अपीलार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाना था इसलिए उक्त तनकी भी अपीलार्थी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

8. तनकी संख्या 3 "आया सेटलमेन्ट विभाग द्वारा खतौनी में खातेदारी में जो चैन्ज किया गया है, वह वॉईड है?" उपरोक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था, जिसे वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजात् से साबित किया है और यह तथ्य तनकी संख्या दो के विवेचन से भी साबित है कि सेटलमेन्ट पूर्व उपरोक्त भूमि वादीगण भेराराम व उसकी पूर्वजों की खातेदारी की रही है। प्रश्न यह है कि क्या सेटलमेन्ट विभाग को पूर्व इंद्राज में परिवर्तन करने, खातेदारी समाप्त करने का अधिकार है अथवा नहीं है? इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से दौराने बहस न्यायिक दृष्टांत 2020(1) आर.आर.टी. 24, 37, 2018(2) आर.आर.टी. 1030, 2003 आर.आर.डी. 175, 2015(1) आर.आर.टी. 451, इत्यादि पेश किए गए हैं, जिसका अवलोकन किया गया। इन सभी में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सेटलमेन्ट विभाग को किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार को समाप्त करने, पूर्व इंद्राज को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है और पूर्व इंद्राज रिपीट किए जाने हेतु सेटलमेन्ट अधिकारी बाध्य है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या तीन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से केवल इस आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित कर दी कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा मौका स्थिति अनुसार ही इंद्राज किया गया है उक्त फाईन्डिंग विधि के विपरित है ऐसी स्थिति में तनकी संख्या तीन विधिक रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलार्थी के पक्ष में निर्णित की जानी थी, जिसे नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है इस प्रकार उपरोक्त तनकी संख्या तीन अपीलार्थी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

9. तनकी संख्या चार "आया विवादित भूमि गांवाई पिचका की भूमि दर्ज होने से वादी का वाद खारिज योग्य है?" उक्त तनकी प्रतिवादी के जिम्मे रखी गई है। चूंकि उक्त तनकी किस आधार पर बनाई गई है, कहीं स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी रेस्पोडेण्ट की ओर से, जो जवाबदावा पेश किया गया, उसमें इस बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों के परे जाकर उक्त तनकी कायम की गई है इसलिए उक्त तनकी को विधिक रूप से नहीं बनाया जा सकता था। हमारी राय में उक्त तनकी को हटाया जाना न्यायोचित्त है इसलिए तनकी संख्या चार को निर्णित किया जाना आवश्यक नहीं है और तनकी संख्या चार को हटाया जाता है।

10. उपरोक्त तनकियात के विवेचन अनुसार अपीलार्थी का वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य अनुसार स्वीकार किए जाने योग्य है। दौराने अपील अपीलाण्ट संख्या एक भेराराम की मृत्यु होने बाबत आवेदन पेश किया गया था, लेकिन मूल आवेदन पत्रावली के संलग्न नहीं होने से अपीलार्थी की ओर से दिनांक 2.5.18 को इस संबंध में आवेदन पेश किया गया था, साथ ही पूर्व में प्रस्तुत आवेदन तथा संशोधित अनवान मृत्यु प्रमाण–पत्र की नकलें पेश की थी। अपीलाण्ट संख्या एक भेराराम के विधिक वारिसान पूर्व से ही पत्रावली पर अपीलाण्ट संख्या दो से चार के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है इस कारण से अपील अनवान में अपीलाण्ट संख्या एक का नाम डिलीट किए जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रार्थना–पत्र को उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

11. लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाते हैं तथा अपीलाण्ट्स के वाद को स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। अपीलाण्ट संख्या दो से चार को वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भूमि ग्राम टिपरी के गत खसरा नंबर 42, 43, 44 हाल खसरा नंबर 374 रकबा 0.05 हैक्टेयर व खसरा नंबर 375 रकबा 0.58 हैक्टेयर का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाता है, साथ ही अपीलार्थी संख्या दो से चार के कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग में रेस्पोडेण्ट, उसके अधीनस्थ एवं अन्य किसी प्रकार की रूकावट, बाधा उत्पन्न नहीं करें, इस बाबत स्थायी निषेधाज्ञा भी पारित की जाती है। राजस्व रेकर्ड में माफिक निर्णय अमल–दरामद किया जाकर अपीलाण्ट संख्या दो से चार का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05/03/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली (राज.)

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑर्डर 41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceedure Code, Appendix "4"9)

पीठासीन अधिकारी : श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय व डिक्री/55/2016

1. भेराराम पुत्र फताजी (फौत होने से नाम डिलीट किया गया)
2. लक्ष्मण पुत्र भेराजी
3. भगाराम पुत्र भेराजी
4. दिनेश पुत्र भेराजी

जातिगण राईका निवासीगण टिपरी तहसील बाली जिला पाली (राज.)

..... अपीलार्थीगण

ब ना म

राज. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बाली

..... रेस्पोडेण्ट

अपील संख्या 55/2016 बनाराजगी निर्णय व डिक्री अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली दिनांक 4.4.16 बमुकदमा राजस्व वाद संख्या 69/11 दावा बाबत 88, 89, 92ए, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट सपठित धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम

यह अपील बतारीख 05/03/2020 को रूबरू हमारे व बहाजिर श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी, रेस्पोडेण्ट सरकारी पैरोकार समायत होकर हुक्म हुआ कि लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाते हैं तथा अपीलाण्ट्स के वाद को स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। अपीलाण्ट संख्या दो से चार को वादग्रस्त भूमि ग्राम टिपरी के गत खसरा नंबर 42, 43, 44 हाल खसरा नंबर 374 रकबा 0.05 हैक्टेयर व खसरा नंबर 375 रकबा 0.58 हैक्टेयर का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाता है, साथ ही अपीलार्थी संख्या दो से चार के कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग में रेस्पोडेण्ट, उसके अधीनस्थ एवं अन्य किसी प्रकार की रूकावट, बाधा उत्पन्न नहीं करें, इस बाबत स्थायी निषेधाज्ञा भी पारित की जाती है। राजस्व रेकर्ड में माफिक निर्णय अमल–दरामद किया जाकर अपीलाण्ट संख्या दो से चार का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर, मुहर अदालत आज तारीख 05/03/2020 को जारी किया गया।

मुहर अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली (राज.)